फार्म सम्पदा खड़ी फसल संगृहीत फसल एवं अन्य फार्म संसधानो को पशु / पशुधन एवं चोरी से बचाने हेतु सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करने बाबत ठेका।

1. फार्म संपदा, चल अचल संपति एंव अन्य संसाधनों को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु "जो, जहाँ है, जैसे के आधार पर" चौबीस घंटे सातों दिन सुरक्षा हेतु मानव संसाधन की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत निविदाताओं से निविदा आमन्त्रित की जाती है। करार की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक साल तक होगी।
2. निविदाता निविदा के नियम एंव शर्तो की प्रति निविदा शुल्क रू. 118/– का भुगतान कर फार्म के सुरक्षा विभाग से किसी कार्य दिवस के दिन दिनांक ....से .... तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म निगम की बेवसाईट www.indiaseeds.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। बेवसाईट से डाऊनलोड किए गए निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म शुल्क के रूप में रू. 118/– (Non-refundable) की डी.डी. जो National Seeds Corporation Ltd. Suratgarh, Payable at Suratgarh लगाना आवश्यक है।
3. निविदाता भरी हुई निविदा दिनांक .... को समय................ तक जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी। निर्धारित तिथि दिनांक .... एंव समय...... तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बीड उसी दिन .... बजे खोली जायेगी तथा तकनीकी रूप से वैध पाई गई निविदाताओं की वित्तिय बीड सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत उत्तरोत्तर खोला जायेगा।
4. निविदादाता पार्टियों के पास सबंधित सरकारी/अर्धसरकारी/सरकारी उपक्रम में संतोषजनक मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इस बाबत पार्टियों को संबधित संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
5. पार्टियों को तकनीकी निविदा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, फर्म पंजीकरण, सर्विस टैक्स संख्या, ईपीएफ पंजीकरण संख्या,ई.एस.आई पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो तो) पैन कार्ड संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र, लेबर लाइसैंस पूर्व मे कराये गये कार्य हेतू (यदि कोई हो तो) एंव PSA License की प्रति एंव दो पासपोर्ट साईज फोटो लगाना आवश्यक है । साथ ही पार्टी को एक शपथ पत्र सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नही डाला गया है।यदि किसी पार्टी के लेबर विभाग में फर्म का पंजीकरण कराये जाने /कराने की प्रति एंव PSA License नही है, तो उन्हें इस बाबत Undertaking देनी होगी कि वे Labour License/ PSRA License की प्रति ऑफर जारी होने के 03 माह के अंदर जमा करा देंगें, जमा न कराने की स्थिति में फार्म प्रबंधन पार्टी द्वारा जमा कराई गई अमानत /प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ –साथ उनका ठेका रद्द कर सकता हैं।
6. निविदा के नियम शर्तो की स्वीकारोक्ति हेतु पार्टी को नियम एंव शर्तो के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना आवश्यक हैं तथा उन्हे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए दस्तावेज उनके द्वारा स्व–सत्यापित हैं।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 50000/– (रूपये पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड , बाग व फार्म मुख्यालय की धरोहर राशि 20000/– (बीस हजार रूपये)/प्रति का डिमांड ड्राफ्ट जो कि National Seeds Corporation Ltd. Suratgarh, Payable at Suratgarh तकनीकी निविदा के साथ जमा कराना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

8. निविदा खंडवार की जाएगी । एक पार्टी को एक खंड का ही ठेका दिया जायेगा । बाग व फार्म मुख्यालय का ठेका खंड के अलावा कोई भी पार्टी ले सकती है ।

9. सफल निविदाता को सुरक्षा ठेके के लिए रू. 250000/– (दो लाख पचास हजार मात्र) (धरोहर राशि व प्रतिभूत राशि मिलाकर) जमा कराना होगा। बाग व फार्म मुख्यालय की 50000/– (पचास हजार मात्र) /प्रति (धरोहर राशि व प्रतिभूत राशि मिलाकर) जमा कराना होगा। सफल निविदाता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूत राशि में समायोजित कर दी जायेगी, जो संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने पर ब्याज मुक्त रूप से पार्टी को वापस की जायेगी।

10. धरोहर राशि /प्रतिभूत राशि पर कोई भी ब्याज देय नही होगा। असफल निविदादाता को उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निश्चित अवधि के अंदर उनके लिखित अनुरोध पर उत्तरोतर वापस की जायेगी।

11. ठेकेदार एंव उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर्यावरण, जलीय थलीय जीव जन्तुओं, जंगली जानवरों, मोर , तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगें , उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुँचायेंगे और नही पहूँचाने देंगें।

12. ठेकेदार किसी भी प्रकार के फार्म उत्पाद जैसे पेड़ पौधे , लकड़ी दवा रासायनिक खाद, डीजल , फार्म की मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नही ले जाने देगा और न खुद ले जायेगा। ठेकेदार फार्म के संसाधनों को नुकसान से बचाने हेतु सख्त/सुदढ व्यवस्था रखेगा। ऐसे किसी भी शिकायत के प्रमाणित होने पर, ठेकेदार उक्त हानि के लिए फार्म को क्षतिपूर्ति करेगा।

13. यदि ठेकेदार आवंटित फार्म के क्षेत्र में संदिग्ध अपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबंधित करेगा फिर भी यदि आंवटित क्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित होती है तो इसके लिए ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।

14. **ठेकादार यह सुनिश्चित करेगा की पाशुधन द्वारा अवैध जबरदस्ती नाली पानी को न तोडना /बंधे को नुकसान से बचाना व अवैध चराई और चोरी रोकना एवं अन्य से फसल /फार्म सम्पदा को कोई नुकसान न हो ।**

15. ठेकेदार को फार्म संपदा को बचाने हेतु विभिन्न चको/पोइन्टों/संवेदनशील पाईन्टो इत्यादि जिनकी जानकारी समय समय पर फार्म प्रबंधन द्वारा दी जायेगी पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगें। ठेकेदार यह सुनिश्चत करेगा कि जहाँ भी उसके सुरक्षा गार्ड तैनात है वहा दूसरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद ही पहला सुरक्षा गार्ड चक/पाईन्ट से जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चत करेगे कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड पूरी ईमानदारी से अपनी डयूटी करेगें तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नही करेगें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

16. सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जायेगा जिसका चाल–चलन सही हो तथा वे निगम की काली सूची में न हो। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति से संबधित पार्टी को ठेका नही दिया जायेगा, जैसे उनकी पत्नी/पुत्र व अन्य नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि।

17. ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार या सम्बन्धी नही होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड किसी भी फार्म अधिकारी/कर्मचारी व कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार से किसी भी प्रकार का विवाद/झगड़ा इत्यादि नही करेगें। कोई विवाद होने पर इसकी रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को देगें।

18. कार्य आदेश जारी होने के पश्चात ठेकेदार स्वंय भी फार्म से सबंधित खण्ड/ईकाई मे उपस्थित रहेगा। ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके को किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नही देगा अर्थात Sub-letting नही करेगा। ठेकेदार प्रतिदिन फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी से मिलकर उन्हे फार्म सम्पदा को बचाने हेतु लगाए गए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा इस बाबत प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। निर्देशों की अवेहलना की स्थिति में फार्म प्रबंधक उनका ठेका रद्द करने के साथ-साथ उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।

19. ठेकेदार किसी भी प्रकार के बाहरी विवाद/झगड़ा/संसाधनों की बर्बादी व चोरी होने की रिपोर्ट स्वंय पुलिस थाने मे करेगा। इस प्रकार के किसी भी विवाद की स्थिति मे खर्च का वहन स्वंय ठेकेदार को करना होगा तथा इस संबंध में फार्म कोई भी खर्च वहन नही करेगा। एफ.आई.आर की छाया प्रति फार्म के सुरक्षा अधिकारी को भी प्रस्तुत करनी होगी।

20. सुरक्षा गार्ड की तैनाती हेतु फार्म ठेकेदार को किसी भी प्रकार का वाहन व संसाधन उपलब्ध नही करवायेगा। ठेकेदार को इन सभी संसाधनों की व्यवस्था स्वंय करनी होगी तथा इस मद में आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार को स्वंय करना होगा।

21. ठेकेदार से प्राप्त सुव्यवस्थित बिल का भुगतान समाप्त हुए माह के लिए क्रमशः अगले महीने में चेक द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चत करेगा कि उसने लगाये गये सुरक्षा गार्ड से संबंधित ई.पी.एफ. ई.एस.आई व सेवा कर इत्यादि का भुगतान कर दिया है तथा उन्हें इस बाबत दस्तावेज लगाने होगें। किसी भी प्रकार का टैक्स जो नियमान्तगर्त देय होगा ठेकेदार के मासिक बिल से काटा जायेगा। ठेकेदार को पैन कार्ड की एक छायाप्रति लेखा शाखा को भी देनी होगी। भुगतान सुरक्षा अधिकारी व हैड गार्ड के संतोषजनक प्रमाणन के बाद लेखा विभाग द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लागू GST जो भी नियमानुसार बनेगा वह बिल से काटा जायेगा।

22. ठेकेदार को राजस्थान मे लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 सहित सभी श्रम कानूनों का पालन करना होगा। स्वंय उसकी व उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षा गार्ड की दुर्घटना की स्थिति में ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध मे फार्म प्रबंधन की कोई भी जिम्मेदारी नही होगीं ।

23. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रू. 100/- (रूप्ये सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तो को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ से लिखित अनुबंध करना होग। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा इस मद में आने वाला खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।

24. ठेकेदार फार्म ने सुरक्षा बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

25. ठेकेदार जो भी सुरक्षा कर्मी रखेगा उनको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उनकी मासिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को देगा।

26. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नही पाया जाता है या उसके द्वारा करार के नियम एंव शर्तो की अनुपालना नही की जाती है तो फार्म प्रबंधन 15 दिन का नोटिस देकर उसका ठेका रद्द कर सकता है तथा वर्तमान ठेका किसी अन्य पार्टी को आंवटित किया जा सकता है। फार्म प्रबंधन ठेका रद्द करने के साथ – साथ ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को जब्त भी कर सकता है। ठेकेदार को फार्म प्रबंधन द्वारा फार्म सम्पदा के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।

27. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद/अच्छा पाये जाने की अवस्था में फार्म प्रबंधन आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि को वार्षिक आधार पर बढा सकता है। जिसकी नियम शर्ते पूर्ववर्ती करार के अनुरूप होगी।

28. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा की फसल कटाई के पश्चात कोई पशु फार्म क्षेत्र में बिना चराई परमिट के न आये तथा अवांछित कटाई ना हो अन्यथा उसके नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जाएगी |

29. ठेकेदार को संबंधित चक की चल–अचल सम्पतिं जैसे खड़े पेड़ो एंव अन्य फार्म सम्पति, ''जो जहाँ हो'' के अनुसार रात्रि व दिन मे उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड को लगाना होगा । 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सुरक्षा कार्य में दक्ष सुरक्षा रक्षकों को कार्य पर लगायेगा।

30. ठेकेदार सुरक्षा गार्ड को सीटी, लाठी , टॉर्च एंव अन्य जरूरी संसाधन जो फार्म संसाधनों एंव सम्पदा को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी होगा, उपलब्ध करायेगा। ठेकेदार द्वारा लगाए गए अपने कर्मियों की पहचान पत्र देगा जो कि कर्मियों के डयूटी के दौरान दृष्टिीय रूप से लगाना होगा।

31. ठेकेदार फार्म पर किसी भी अवांछित/अपराधी सुरक्षा गार्ड को कार्य पर नही लगायेगा, जिससे कि फार्म का अहित हो या उसने अहित किया हो उसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया हो या वह सुरक्षा गार्ड फार्म अधिकारी /कर्मचारी से द्वेष रखता हो।

32. फार्म संपदा, इसकी चल अचल संपति के नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक बिल/उनके द्वारा जमा किया गया अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जाएगी।

33. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहि। ठेकेदार को फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड की जानकारी फार्म प्रबंधन को देनी होगी।

34. ठेकेदार फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक आधार पर निर्धारित समय मे देगा तथा फार्म इसके लिए जिम्मेदार नही होगा। यदि ठेकेदार उन्हे न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक वेतन देने में असफल रहता है तो फार्म प्रबंधन सुरक्षा गार्ड को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान राजस्थान राज्य मे लागू न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करेगा तथा इस मद मे आने वाले खर्च की वसूली ठेकेदार को देय बिल/उसकी अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

35. ठेकेदार इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि वह फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतगर्त मजदूरी का भुगतान व जिसका रिकॉर्ड रखना होगा तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की पालना के लिए स्वंय जिम्मेदार होगा।

36. किसी भी संगठन, ट्रेड यूनियन की हड़ताल या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में ठेकेदार अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फार्म संपदा/फसलों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की ही होगी।

37. यदि ठेकेदार ठेका का कार्य बीच में छोड़ता है या इस करार के किसी नियम अथवा शर्तो का उल्लंघन करता है तो फार्म को इस करार को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

38. इस अनुबंध से संबंधित किसी विवाद, झगड़े या मतभेद की स्थिति को दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगें। यद्यपि विवाद नही सुलझने की स्थिति में इस करार

से संबंधित पक्षकार के आग्रह पर इसके उल्लघंन से संबंधित इस प्रकार के झगड़ों, विवादों, मतभेदों या दावों को समय –समय पर संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा नियुक्त पंच द्वारा सुलझाया जाएगा। माध्यस्थम् का स्थान सूरतगढ होगा तथा इससे संबंधित किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय हेतु सूरतगढ क्षेत्र ही मान्य होगा।

39. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक (फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा। फार्म निदेशक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताये ठेकेदार का ठेका उसे 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकतें है।

40. यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी नियम व शर्तो का उल्लघंन करता पाया जायेगा अथवा फार्म को समूचित सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम अथवा फार्म की मशीनों व सम्पदा आदि की सुरक्षा करने में अक्षम पाया जाता है तो सुरक्षा अनुबंध को खत्म किया जा सकता है। तथा ठेकेदार /फर्म को सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा ब्लैक–लिस्ट कर दिया जायेग एंव जमा प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।

41. यदि फार्म मे कोई नुकसान होता है तो फार्म निदेशक द्वारा एक कमेठी गठित की जायेगी जो नुकसान का आंकलन करेगी। ठेकेदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति आंकलन में शामिल होगा। यदि समय पर नही आता है तो कमेटी का निर्णय मानना होगा।

42. फार्म की किसी भी प्रकार की मशीन,सम्पदा आदि के नुकसान/चोरी की भरपाई का पूर्ण उतरदायित्व ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार 15 दिवस के भीतर हुए नुकसान की भरपाई नही करता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक भुगतान में सें की जायेगी। इस बाबत फार्म निदेशक का निर्णय ठेकेदार पर बाधित होगा।

43. ठेकेदार निगम के विरूद्व किसी भी भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष/अपरोक्ष रूप से शामिल नही होगा। यदि ठेकदार निगम विरूद्व किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों मे संलिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ हुए सुरक्षा अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा बचा हुआ कार्य उसके हर्जे खर्चे पर सम्पादित करवाया जायेगा।

44. **सुरक्षा ठेकेदार तीनो खंडो में बने हुए फाटक में आवारा पशुयों को नहीं लायेंगे तथा आवारा पशुयों को सूरतगढ़ की गोशाला में छोड़ेंगे|** आवारा पशुओं के फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबत जो भी संवेदनशील प्वाईट जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर दी जावेगी, पर चौकीदारों की नियुक्ति करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से उचित कटोती की जायेगी।

45. सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नही कराया जायेगा। ठेकेदार को इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वंय करनी होगी।

46. सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी खण्ड मे अगर कोई चक आउट–सोसिंग के लिये दिया जाता है तो उस चक की सुरक्षा आउट–सोसिंग वाले ही करेंगें और उस चक की सुरक्षा खर्च के रूपये प्रति चक प्रतिमाह औसत के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को नही दिये जायेगें।

47. यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि व श्रमिक फार्म की किसी सम्पतिं को न तो नुकसान पहुँचायेगें और नही उसका उपयोग करेंगें। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी के प्रति कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

48. यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी,सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नही करता है मोखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढंग से नही करता है तो फार्म प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर लें।

घोषणाः—

मैनें फार्म में सुरक्षा ठेके की निविदा की नियम व शर्ते पढ ली है। उक्त सभी शर्ते मुझे मान्य है हस्ताक्षर मैने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाव के पूर्ण होशहवास मे किये है। मेरे द्वारा सभी शर्ते स्वीकार की गई है तथा यह शर्ते केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....